संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : विश्वास संस्थान
2. संस्था का पता : 3254, भगवन्त कौर कालोनी, कैनाल रोड़ रायबरेली
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष उ०प्र०
4. संस्था का उद्देश्य :

1. सर्व जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक,चारित्रिक, बौद्धिक, राष्ट्रीय भावना का विकास करना। स्वास्थ्य सम्बन्धी विकास हेतु परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, टीकाकरण, पेंयजल योजनाओं आदि का कियान्वयन तथा प्रचार– प्रसार में सहयोग करना।
2. सर्वागीण ज्ञानबर्द्धन हितार्थ पुस्तकालय, वाचनालय, बालबाड़ी, ऑगनबाड़ी केन्द्र, प्रौढ़ पाठशालाएं, धर्मशालयों तथा बृद्धा, विधवा आश्रमों, व्यायामशाला आदि की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन एवं कियान्वयन करना। निःशुल्क चिकित्सालय एवं रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना व संचालन करना। समय–समय पर जनजीवन में एकता और जागरूकता बढ़ाने हेतु सांस्कृतिक कार्यकम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
3. समाज में गरीबी कम करने, बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार लाने के दृष्टिकोण से परम्परागत/आधुनिक ढ़ग से गौपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, रेशम के कीड़े, भेड़ तथा बकरी पालन, दुधारू पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन केन्द्र खोलना एवं प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यकमों का कियान्वयन करना।
4. समाज के दलित, अल्पसंख्यक व असहाय निर्वल वर्ग एवं मूक बधिर, विकलांग, नेत्रहीन विधवाओं, बच्चों एवं बृद्धों के देखभाल एवं सर्वार्गीण विकास के लिए केन्द्र खोलना तथा निःशुल्क प्रशिक्षण एवं सामाजिक कार्यकमों का संचालन करना।
5. समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड, सिफ्सा, ब्रोक इन्डिया, डूडा, सूडा, यूनिसेफ, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के सहयोग से महिला एवं बाल विकास कार्यकमों तथा अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं के संचालन में सहयोग करना।
6. समग्र कृषि सुधार हेतु उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार एवं आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरकों, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन तथा ऊसर सुधार, वृक्षारोपण आदि पर कार्य करना। समस्त भूमि सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित सभी तरह के कार्यकमों को संचालन करना। ग्रामीण सुधार एवं कृषि कार्य को बढ़ावा देने हेतु कृषि केन्द्रों की स्थापना एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्नतशील बीज, खाद, कृषि यन्त्र एवं अन्य उपयोगी सुविधाएं प्रदान करना। जैविक खाद के महत्व का प्रचार–प्रसार वर्मी कल्चर कम्पोस्टिंग तथा वर्मी कल्चर के विकास में तत्सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित करना तथा अन्य सेवा सुविधाएँ किसानों को उपलब्ध कराना ताकि उन्हें रासायनिक खादों में मुक्ति प्राप्त हो सके।
7. दैवीय आपदाओं के समय पीड़ितों की हर सम्भव मदद कर राहत कार्यकम करना। दैवीय आपदा राहत कोष की स्थापना करना तथा दैवीय आपदाओं के निवाणार्थ कार्य करना।
8. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन तथा प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक विकास हेतु आन लाईन तकनीकी विद्यालय एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी विषयों के समुचित विकास के लिए विद्यालय महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

9. सामाजिक चेतना के लिए संचार माध्यम जैसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंन्ट मीडिया व सामान्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्र की अन्तिम इकाई को सत्त जागरूक करने का प्रयास करना। साथ ही साथ इन्टरनेट रेडिएशन से सम्बन्धित होने वाले दुष्प्रभाव पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

10. आदिवासी एवं जनजातियों के सर्वागीण विकास के लिए वहॉ की सामाजिक भौगोलिक आर्थिक विवेचना कर उन समूहों को उन्नत करने का समक्ष प्रयास करना।

11. सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सामाजिक जागृति के लिए पीड़ितों एवं शोषित को निःशुल्क विधिक न्याय दिलाने हेतु प्रयास करना। विधिक परामर्श केन्द्र का संचालन करना। शासन एवं समाज के सहयोग से समाज के दीन दुखी, पीड़ित, उपेक्षित, असहाय, बेसहारा व्यक्तियों हेतु निःशुल्क विशेष सुविधा पहुचाना।

12. ग्रामीण/शहरी गरीबों एवं सभी वर्गों के पुरूषों महिलाओं के सामूहिक आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं रोजगार की दिशा में कुटीर उद्योगों, ग्रामोंद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमियों को क्षेत्रीय बाजार के साथ–साथ इन्टरनेट के माध्यम देश विदेश में भी उत्पाद विपणन में सहायता प्रदान करके उन समूहों का उत्थान करना। परम्परागत रोजगारों वाले जाति समूहों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं साधन सम्पन्न करना।

13. अति भयावह संक्रामक रोगों जैसे एड्स, कैंसर, टी बी, कोरोना एवं विषाक्त कीटाणु जनित महामारियों रोगों के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम। सामाजिक अभिशाप जैसे नशाखोरी, ड्रग्स आदि को कम करने के लिए सतत् सामाजिक कार्यक्रम एवं निःशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाना।

14. महिलाओं की व्यवसायिक शिक्षा हेतु हर सम्भव प्रयास करना। उनको हस्त शिल्पकला, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई तथा कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था करना तथा प्रशिक्षणोपरान्त शासन तथा उसके अर्न्तगत विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए कार्य करना तथा उनको स्वालम्बी बनाना।

15. डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार एवं संचालन करना। कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना एवं संचालन करना। आन लाईन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना। मोबाइल, कम्प्यूटर, इन्टरनेट सम्बन्धित यंत्र एवं रेडिएशन के प्रयोग से सम्बन्धित अच्छाईयों एवं दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना।

16. भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अर्न्तगत धमार्थ चिकित्सालयों की स्थापना करना। आयुष मंत्रालय के सहयोग से प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमोपैथी चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

17. सामाजिक कलंक दहेज के विरोध नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रेरित करना तथा दहेज प्रथा को शासन तथा समाज द्वारा उन्मूलन हेतु हर सम्भव प्रयास करना। बाल विवाह प्रथा का विरोध तथा अर्न्तजातीय विवाह एवं विधवा विवाह का प्रचार–प्रसार व सामूहिक विवाहो की व्यवस्था करना।

18. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के दुर्बल वर्गों, गंदी मलिन बस्तियों में साफ सफाई एवं कल्याण तथा उनके अनुसार कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार संचालन में पूर्ण सहयोग करना एवं आन लाईन तथा ऑफ लाईन बाजार उपलब्द्व कराना।

19. योग अभ्यास केन्द्र, योग चिकित्सा शिविरों एवं योग विद्यालयों व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर योग प्रणाली के गुणों का जनसाधारण में प्रचार–प्रसार करना ताकि जनमानस निःशुल्क लाभ अर्जित कर सके।

20. छोटे बच्चों में शिक्षा की रोचकता को ध्यान में रखते हुए मान्टेसरी प्रणाली के विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन तथा अन्य विद्यालयों में वाद विवाद, सामान्य ज्ञान व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करना। निर्धन तथा अनुसूचित जाति एवं असहाय मेधावी छात्रों को यथा सम्भव हर प्रकार की अतिरिक्त क्लास एवं छात्रवृत्ति प्रदान करने मे सहायता प्रदान करना। जिससे उनके शिक्षा कम की सत्ता भंग न हो।

21. क्रीड़ा जगत की विभिन्न विधाओं द्वारा जन साधारण में एकीकरण की भावना उत्पन्न करते हुए खेल एकडमी की स्थापना एवं संचालन करना। खेलकूद के समस्त उपकरण एवं सामाग्रियों को संस्था के माध्यम से जनसाधारण को

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ मण्डल
20/1/2020

मनोरंजनार्थ उपलब्ध करना व विभिन्न स्थानों पर भिन्न– भिन्न क्रीड़ाओं के लिए प्रतियोगिता एवं क्रीड़ागन की स्थापना करके संचालन करना।

22. विभिन्न एजेन्सियों, विभागों के सहयोग से समान सोच एवं समान विचारधाराओं वाली संस्थाओं को आपस में जोड़ना तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना।

23. वृक्षारोपण को पूर्ण महत्व के साथ द्रुतगति से लागू करना। शासन के अर्न्तगत विभागों द्वारा निर्देशित अथवा प्रदत्त भूमि भूखण्डों, सार्वजनिक स्थलों मार्गों के दोनों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर संस्था के माध्यम से वृक्षारोपण करवाना।

24. भारत की मूल भाषा वेदो तथा विभिन्न भारतीय पवित्र ग्रन्थों की भाषा देव भाषा, संस्कृत के महात्मय और गौरव को स्थिर रखते हुए संस्कृति के विकास प्रचार–प्रसार हेतु संस्कृत भाषा के विद्यालय एवं महाविद्यालय, पुस्तकालयों वाचनालयों की स्थापना कर हर सम्भव प्रयास करना।

25. उर्दू के इतिहास महत्व और वर्तमान में उर्दू की आवश्यकता के क्रम में विकास प्रचार–प्रसार की हर सम्भव व्यवस्था करना तथा मदरसे की स्थापना एवं संचालन करके उसमें होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना।

26. संगीत की गरिमा एवं मानव जीवन में संगीत की आवश्यकता एवं महत्व पर बल देते हुए संगीत की हर विधा के प्रचार समारोह, प्रतियोगिताओं एवं संगीत गोष्ठियों का समय–समय पर आयोजन करना। भारतीय लोकविधाओं को बढ़ावा देने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना एवं संगीत विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

27. काष्ठ कला, लौह कला, चर्म कला, रंगीन कला, वस्त्र निर्माण कला, पत्थर गिट्टी तथा चीनी मिट्टी संगमरमर की मूर्तियों को बनाने की कला का प्रशिक्षण जनसाधारण के रूचि रखने वाले बेरोजगारों नवयुवतियों को स्वरोजगार प्राप्त करने मे खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड तथा अन्य एजेन्सियों के सहयोग से योगदान प्रदान करना।

28. आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, निर्धन वर्ग के बालिकाओं और बालकों हेतु पृथक–पृथक एवं सयुक्त रूप से संस्थान द्वारा शासकीय सहयोग से स्थापना करना एवं उन्हें संचालित करना।

29. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सभी जरूरतमंद अभर्थियों हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी की व्यवस्था करना एवं उक्त के संचालन हेतु भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों, नोडल एजेन्सियों के सहयोग से उन्हें पूर्ण व्यवस्थित व सुचारू ढ़ग से संस्थान द्वारा संचालित करना।

30. खादी एवं ग्रामोद्योगी गतिविधियों का प्रचार–प्रसार, प्रोत्साहन तथा सहायता क्रियान्वयन करना। राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का प्रशिक्षण स्थापना व संचालन करना।

31. पर्यावरण एवं प्रदूषण के सुधार हेतु पर्यावरण मंत्रालय, निदेशालय, पर्यावरण विभाग तथा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सहयोग से जनहित में तत्सम्बन्धित विषयक कार्यक्रम संचालित करना। सरकार की मंशा के अनुरूप स्थायी एवं प्रदूषण सचल जॉच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करना केन्द्र राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं सत्त के सहयोग से टी0एस0सी0 के अर्न्तगत सक्रिय सहभागिता करके उक्त कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन करना।

32. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पौषणिक उद्यानों की स्थापना तथा बागवानी सर्वधन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तान्तरण हेतु प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास गोष्ठियॉ भ्रमण इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं ततसम्बन्धित मंत्रालय या अन्य विभागों के सहयोग से उक्त का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना। चिकित्सीय पौधे एवं फसलों तथा जड़ी बूटियों का उत्पादन करना एवं उनके चिकित्सीय उपयोग के बारे में जन मानस को अवगत तथा जागरूक कराना।

Dixit

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
20/11/2020

33. राज्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष इत्यादि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के अर्न्तगत तथा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे तथा विकलॉग महिलाओं एवं पुरूषों को प्रेरित कर पृथक–पृथक एवं मिश्रित समूह गठन तथा तत् सम्बन्धित समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना।

34. ग्रामीण जनमानस के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्पियों के विकास में कियान्वयन करना। रूरल बिल्ड़िग सेन्टर, ग्रामीण आवास तथा समग्र विकास सम्बन्धित परियोजनाओं का संचालन करना। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना द्वारा हस्त शिल्पियों के विकास में कियान्वयनशील सहयोग प्रदान करना। हस्तशिल्पियों के आर्थिक सुधार हेतु तत्सम्बन्धित कियाओं का सुचारू रूप से संचालन करना।

35. जन्तुओं के प्रति कूरता निवारण तथा जीव जन्तु कल्याण हेतु जीव जन्तु कल्याण बोर्ड समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा पशु देखभाल मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं का संस्थान के माध्यम से कियान्वयन कराना एवं जनहित कल्याण दल का गठन करना। पशु देखभाल केन्द्र शेल्टरर्स, पशु एम्बुलेंस लावारिस तथा घायल एवं अनाथ पशुओं की चिकित्सा एवं देखभाल हेतु पशु चिकित्सालयों एवं पशु देखभाल केन्द्रों की व्यवस्था, स्थापना, निर्माण एवं संचालन करना।

36. सम्पूर्ण राष्ट्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित सतत शिक्षा कार्यकम, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओ कार्यकम से सम्बन्धित कार्यकमों को संचालित करना। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ – साथ व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, उनके अन्दर विद्यमान गुणों का विकास, वैकल्पिक ज्ञान, कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

37. उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारो एवं कानूनों की विभिन्न कार्यकमों के माध्यम से जागरूकता कार्यकमो एवं प्रचार–प्रसार का संचालन एवं कियान्वयन करना। पीड़ित उपभोक्ताओं को विधिक मदद करना।

38. सड़क सुरक्षा कार्यकम के अर्न्तगत यातायात के नियमों के प्रति जानकारी देना एवं जागरूक करना। तत्सम्बन्धित विभागों से सहायता लेकर समाज को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारियॉ देना। ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना एवं संचालन करना।

39. चिकित्सीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना एवं जनकल्याणार्थ चिकित्सा का निर्माण कर जन सेवा करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्सम्बन्धित विभागों के सहयोग से कार्यकमों का कियान्वयन करना।

40. प्राकृतिक ईधन को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यकमों का संचालन करना एवं सोलर एनर्जी के प्रयोग के महत्व पर कार्यकमों का कियान्वयन करना।

41. स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई, शौचालय, सुलभ शौचालय आदि का निर्माण करवाना एवं जागरूकता लाने से सम्बन्धित कार्यकमों का संचालन करना। नदी, नाले, तालाबों की साफ सफाई हेतु समुचित प्रबन्धन करना। जिससे जल जीवों को बचाया जा सकें। ठोस कूड़ा प्रबन्धन हेतु व्यवस्था करना एवं जागरूकता कार्यकमों का संचालन करना। वर्षा जल संचय हेतु जागरूक करना एवं शुद्ध पेयजल प्रयोग के लिए जागरूकता कार्यकमों का संचालन करना।

42. निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण का कार्य करना। तत्सम्बन्धित हेतु नवीनतम अनुसंधान एवं तकनीकी शिक्षा को लागू करना एवं विषयक अनुसंधान केन्द्रों को जन कल्याणार्थ हेतु स्थापना करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
20.1.2020

<u>संशोधित नियमावली</u>

1. सस्था का नाम : विश्वास संस्थान
2. संस्था का पता : 3254 भगवन्त कौर कालोनी, रायबरेली
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण ~~भारतवर्ष~~ उ०प्र०
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. <u>संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों का वर्ग</u>

<u>सदस्यता</u> : कोई भी भारतीय नागरिक जो संस्था के उद्देश्यों मे आस्था रखता हो एवं नियमों के अनुसार योग्यताधारी होता। संस्था का सदस्य बन सकता है।

<u>संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होगें–</u>

क. <u>संरक्षक सदस्य</u> – कोई भी योग्य व्यक्ति जो कि संस्था को रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) या इतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति दान देकर संरक्षक सदस्य हो सकता है।

ख. <u>विशिष्ट सदस्य</u> – कोई भी व्यक्ति कम से कम रू0 5000/– (रू0 पॉच हजार) की धनराशि सचिव/प्रबन्धक के पास जमा करके संस्था का विशिष्ट सदस्य बन सकता है।

ग. <u>आजीवन सदस्य</u> – सचिव/प्रबन्ध निदेशक का पद आजीवन सदस्य रहेगा एवं मृत्युपरान्त वसीयत के आधार पर पद का सृजन होगा।

घ. <u>सामान्य सदस्य–</u> कोई भी व्यक्ति रू0 501/– (रू0 पॉच सौ एक) वार्षिक जमा करके संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।

सभी प्रकार के सदस्यों के लिए निम्नलिखित शर्ते आवश्यक होगीं–

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. जिसे कानून द्वारा किसी सामाजिक कार्य के लिए अयोग्य न करार दिया गया हो।
3. संस्था के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम करने का इच्छुक हो।
4. सदस्य हेतु निर्धारित आवेदन फार्म भर कर आवश्यक रकम अदा करें।

<u>6. सदस्यता की समाप्ति</u> –

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के या संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
5. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
6. किसी न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
7. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।

<u>7.संस्था के अंग</u> –

अ. साधारण सभा ब. प्रबन्धकारिणी समिति

<u>8. साधारण सभा–</u>

गठन – साधारण सभा का गठन आजीवन, सामान्य, विशिष्ट एवं संरक्षक सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा।

बैठकें –साधारण सभा की बैठकें साल में एक बार तथा विशेष बैठकें आवश्यकता अनुसार किसी भी समय बुलायी जा सकेगीं।

सूचना अवधि –साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

गणपूर्ति – साधारण सभा के कुल सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों का बहुमत गणपूर्ति हेतु मान्य होगा।

AShukla
Bipan
Anixit

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
20.11.2020

विशेष वार्षिक अधिवेशन तिथि – साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्धारित की जाएगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के तथा पदाधिकारियों के संस्था संम्बन्धी कार्यों की देखभाल करना।
3. संस्था की कार्यप्रणाली तथा नीतियां निर्धारण करना।
4. वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
5. अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर निर्णय करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति

गठन – साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबंध निदेशक, कोषाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होगें आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकेगी।

बैठकें – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें साल में चार बार एवं विशेष आवश्यतानुसार कभी भी बुलाई जा सकेगी।

सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पहले दी जाएगी।

गणपूर्ति – प्रबन्धकारिणी सदस्यों की कुल संख्या में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु मान्य होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत कोई भी रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से की जाएगी।

अधिकार एवं कर्तव्य –

1. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आय व्यय के अनुसार बजट बनाना।
3. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, वेतन, कार्य मुक्ति जैसे सभी निर्णय लेना। सभी कर्मचारियों कार्यकर्ताओं के कार्यों का निरक्षण करना एवं उन पर नियन्त्रण करना।
4. उप समितियों का आवश्यकतानुसार गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करना एवं उन पर नियंत्रण रखना। देश के विभिन्न प्रदेशों के जनपदों में संस्था की शाखाएं स्थापित करना एवं कार्यप्रणाली को व्यापक एवं जनउपयोगी बनाना। समान विचारधारा की विभिन्न संस्थाओं से मिलकर कार्य करना।
5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी विभागों से दान, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
6. एफ0 सी0 आर0 ए0 के अर्न्तगत संस्थान का पंजीकरण तथा विवेचित एक्ट के अर्न्तगत विधि सम्मत रूप से कार्य करना।
7. सोसायटी रजिस्टेशन एक्ट की धारा (21) 1860 के अर्न्तगत विधि सम्मत रूप से कार्य करना।
8. शासन, विभागों, समस्त संस्थाओं से एवं सासंद निधि तथा विधायक निधि से दान अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना।

कार्यकाल – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा लेकिन जब तक चुनाव न हो जाए पुराने पदाधिकारी कार्यरत होगें।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष – संस्था के बैठकों की अध्यक्षता करना एवं समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना एवं कार्यों मे सहयोग प्रदान करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

20/11/2020

सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक –

1. संस्था का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. समस्त बिल, बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों संविदा, आहरण पत्रों, लेखन– अभिलेखों आदि पर हस्ताक्षर करना।
5. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
6. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
7. समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना एवं उन पर नियंत्रण रखना।
8. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व वेतन बृद्धि करना।
9. सदस्यों को सदस्यता हेतु स्वीकृत देना।
10. संस्था कोष व लेखा व्यवस्था तथा डाकघर एवं बैंक खातों का संचालन करना।
11. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त कार्य करना।

कोषाध्यक्ष –

1. संस्था के आय–व्यय का समस्त लेखाजोखा पंजिकाओं में तैयार कर सचिव से निरीक्षण करवाना।
2. संस्था के आय के स्रोतों को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. संस्था हित में सचित एवं प्रबन्ध निदेशक के सहयोग से कार्य करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन – संस्था के नियमों एवं विनियमों मे संशोधन परिवर्तन एवं परविर्धन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

12. संस्था का कोष – संस्था के कोष को किसी भी मान्यता प्राप्त/राष्टीय कृत बैंकों या डाकघरों में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जाएगा। जिसका आहरण अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा परियोजना समन्वयक में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा जिसमें सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखाजोखा – संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जाएगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व – संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व सचिव/प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का होगा।

15. ऋण अदायगी का दायित्व –यदि संस्था स्मृति पत्र में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्बन्धित विभागों से ऋण हेतु आवेदन करती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी का होगा।

16. संस्था के अभिलेख –

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैशबुक, लेजर आदि

17. संस्था के विघटन एवं सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– सोसायटी रजिस्टेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जाएगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनॉक

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
20/11/2020

विश्वास संस्थान

3254 भगवन्तकौर कालोनी,कैनाल रोड जिला–रायबरेली
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2019–2020

क0स.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती रेखा सिंह पत्नी सुरेश सिंह चन्देल	मोहल्ला–संजयनगर,बछरॉवा जिला रायबरेली	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री कृष्ण कुमार शुक्ला पुत्र श्री राम प्यारे	ग्राम–नन्दाखेड़ा पोस्ट–निहस्था जिला रायबरेली	उपाध्यक्ष	नौकरी
3	श्री विपिन बाजपेयी पुत्र श्री राम कुमार	ग्रम जनेवा कटरा,पोस्ट–खजूरगॉव जिला रायबरेली	सचिव/ प्रबन्धनिदेशक	समाजसेवा/ व्यापार
4	श्री राजेश द्विवेदी पुत्र श्री राम शंकर	ग्राम व पोस्ट–जमरॉवा जिला फतेहपुर	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5	श्री वरूण दीक्षित पुत्र श्री कृष्ण कुमार	ग्राम व पोस्ट–मधुपुरी जिला रायबरेली	सदस्य	नौकरी
6	नेहा दीक्षित पुत्री श्री कृष्ण कुमार दीक्षित	ग्राम पूरे बच्चू सिंह पोस्ट बूढ़नपुर जिला रायबरेली	सदस्य	गृहकार्य
7	कु0 अपेक्षा सिंह पुत्री श्री सुरेन्द्र सिंह	325,आनन्दनगर जिला रायबरेली	सदस्य	नौकरी

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर

1–

2–

3–

4– Varun Dixit

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ
29.05.19